फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

बुटासिह बनाम **दर्शनसिह**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 152 सन–2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
24.09.2021	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 166 / 166 की कुल 3.9120हैक्ट भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नही किया जावे यदि इस सम्बध में गैरसायलान को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । खाला व रास्ता की भूमि पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 03.11.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर उपखण्ड अधिकारी नोहर पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प मेघाना में पेश हो।	
03/11/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 कैम्प मेघाना में पेश हुई तालीनामा पेश नहीं अप्रार्थी उपस्थित नहीं पत्रावली दिनांक 14/02/22 को पेश हो	

Scanned with CamScanner

12/2/22 ~~वकील सायल उपस्थित गैरसायल उपस्थित नहीं गैरसायल की तामील होकर रिपोर्ट प्राप्त पेश हुई पत्रावली दिनांक 9/6/22 को पेश हो।~~

9/6/22 ~~वकील सायल उपस्थित गैरसायलान की तामील हुई बार बार समय दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं किये अन्तिम समय दिया जाता है। आगामी पेशी पर आवश्यक तौर से साक्ष्य/बयान पेश करें पत्रावली दिनांक 2/12/22 को पेश हो।~~

18/7/22 ~~वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई निवेदन किया कि इस प्रकरण का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये प्रार्थनापत्र नहीं चलाना चाहते है पत्रावली खारिज फरमावें।~~

~~सायल स्वयं अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण खारिज किया जाता है व पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।~~

उपखण्ड अधिकारी

द्वारा ...

18/7/22

Scanned with CamScanner